

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या

12/24/2017

प्रवेश तिथि

17-03-2017

निर्णय दिनांक

15-03-2018

01-ईशाक पुत्र श्री छुटना उर्फ पंजाबी, जाति मेव निवासी ग्राम चपराडा, तहसील रामगढ़ जिला अलवर



बनाम

01- तहसीलदार, रामगढ़ जिला अलवर

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ़
दिनांक 22.02.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 20/2017

उपस्थित:-

01-श्री चौधरी सरदार खां

-वकील अपीलाण्ट

-निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 22.02.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम चपराडा की सरकारी गै0मु0 चाह भूमी आराजी खसरा नम्बर 300 रकबा 0.07 है0, पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्जे सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम चपराडा की सरकारी गै0मु0 चाह भूमी आराजी खसरा नम्बर 300 रकबा 0.07 है0 पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 27.01.2017 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट से अपीलार्थी का पश्चातवर्ति अतिक्रमण साबित नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 17.03.2017 का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा कब्जा छोडना बताया गया है तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का केसरोली द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 12.05.2017 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 15-03-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(राकेश कुमार)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)